ग्रुप 61

राजस्थान सरकार

(कानून - 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय ... अधिकारी, बिजौलिया जिला -- भीलवाड़ा (राज.)

(2024-12)

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर		पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
177 दावा	6/24	23/1/24		3/1/24 ~~23/8/24~~ 16/8/24 17/9/24 21/10/24 19/11/24

निर्णय

21/11/24

श्री राज० सरकार जरिये तहसीलदार

निवासी (बिजौलियां)

श्री कालूजी भील बैंगारस

निवासी पारलेल

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपील ... प्रतिवादी / रेस्पोंडेंट

श्री

श्री Ex-Part

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

राजस्थान सरकार बनाम कालू

रस्म मुकदमा 177 नम्बर 6 सन 2024

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वादपत्र पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। वकील वादी उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र पत्र भेज की जावें। पत्रावली दिनांक 31/1/2024 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
	पत्रावली पेश हुई। वादी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी आगामी दिनांक 7/2/24 को पेश हो।	
	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी आगामी दिनांक 19/2/24 को पेश हो।	
	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी आगामी दिनांक 1/3/24 को पेश हो।	

1/3/24 — पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 15/3/24 को वास्ते तलबी पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

15/3/24 — पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 5/4/24 को वास्ते तलबी पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

5/4/2024 — पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 3/5/24 को वास्ते तलबी पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

3/5/24 — पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्राश्रावली दिनांक 7/6/24 को वास्ते तलबी पेश हो।

तहसील मार्फत तामील भेजी गई।

उप खण्ड अधिकारी

7/6/24 — पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 21/6/24 को वास्ते तलबी पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

21/6/24 — पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 12/7/24 को वास्ते तलबी पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

12/7/24 — पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 16/7/24 को वास्ते तलबी पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

16/7/24 — पत्रावली पेश हुई। विपक्षीगण (3) की बाद तामील प्राप्त हुई। विपक्षी (1,2) को तामील चस्पा करवाई गई। विपक्षीगण बाद सूचना अनुपस्थित। पत्रावली में एक पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली वास्ते उचित आदेश आगामी दिनांक 16/8/24 को पेश हो।

16/8/24 — पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 17/9/24 को वास्ते उ. प्र. पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियॉ, जिला–भीलवाड़ा

....बनाम ....

किस्म मुकदमा धारा.. प्रकरण संख्या ....

GCMS नम्बरः–..................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/9/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी / प्रतिवाद उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 21.10.24 को वास्ते उ. आ. पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
21-10-24	पत्रावला पेश हुइ। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 19-11-24 को वास्ते उ. आदेश पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
19.11.24	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली में विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया एवं खुले न्यायालय में सुनाए गए। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्रीमान् अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस)

वादपत्र संख्या 06 / 2024 दायर तारीख 23.01.2024

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

........वादी

बनाम्

01. कालु पुत्र गोमा जाति बंजारा निवासी काटबड़ा, तह बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
02. सत्तु पुत्र गोमा जाति बंजारा निवासी काटबड़ा, तह बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
03. शाखा प्रबंधक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कांस्या कलां

........प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 01. पैरोकार सरकार। ...वादी

02. एकपक्षीय ... प्रतिवादीगण

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :–21/11/2024

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी तहसीलदार बिजौलियां ने वादपत्र अर्न्तगत **धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा कि ग्राम आंटी पटवार मण्डल गुढ़ा भू.अभि.नि.क्षेत्र कांस्या तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित खाता संख्या 235 में अंकित आराजी संख्या 321 रकबा 0.8337 हैक्टेयर भूमि किस्म बारानी 02 प्रतिवादीवगणों के नाम पर राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। उक्त वर्णित आराजी संख्या 321 रकबा 0.8337 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादीगणों द्वारा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त आराजी पर प्रतिवादीगणों को मात्र कृषि कार्य हेतु खातेदारी अधिकार प्रदत्त था। प्रतिवादी द्वारा भूमि कृर्षि कार्य हेतु उपयोग नहीं ली जाकर अकृषि कार्य अवैध खनन (पत्थर कटा हुआ) कार्य किया गया। प्रतिवादीगणों ने खातेदारी अधिकार की शर्तों की पालना नहीं कर अवहेलना करने से भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करने योग्य है। अतः प्रतिवादीगणों की उक्त आराजीयात को खारीज कर बिलानाम सरकार दर्ज कराना फरमावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगणों को नोटिस जारी किये गये। नोटिस बाद तामील प्राप्त हुये।

पत्रावली में प्रतिवादीगणों की तरफ से कोई जबाब पेश नहीं किया गया। विपक्षीगण बाद सूचना अनुपस्थित रहे। विपक्षीगणों को 03 बार आवाज लगाई गई परन्तु प्रतिवादीगणों की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ, ना प्रविवादीगण स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षीगणों के विरूध एक पक्षीय आदेश पारित किए गए। वादी तहसीलदार बिजौलयां द्वारा दस्तावेजों एवं साक्ष्य के रूप में भू. अभि.निरिक्षक कांस्या व पटवारी गुढ़ा का द्वारा प्रमाणित मौका पर्चा, भू.अभि.निरिक्षक कांस्या व पटवारी गुढ़ा का द्वारा प्रमाणित नकल जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार संवत 2074–2077 ग्राम आंटी खसरा नम्बर 321, भू.अभि.निरिक्षक कांस्या व पटवारी गुढ़ा द्वारा प्रमाणित नक्शा ट्रेस, भू.अभि.निरिक्षक कांस्या

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

व पटवारी गुढ़ा द्वारा प्रमाणित गुगल इमेज, भू.अभि.निरिक्षक कांस्या व पटवारी गुढ़ा द्वारा प्रमाणित जी. पी.एस. फोटोग्राफ पेश किए जो पत्रावली के साथ संलग्न हैं। वादी की तरफ से पेरोकार सरकार उपस्थित।

प्रकरण में वादी तहसीलदार बिजौलियां ने अन्य किसी प्रकार की शहादत वादी प्रस्तुत नहीं करने से साक्ष्यवादी बन्द की गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं पेरोकार सरकार की एक तरफा बहस पर मनन किया। एवं पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों एवं साक्ष्य का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं दस्तावेजों व पेरोकार सरकार की बहस पर मनन करने के पश्चात् न्यायालय ग्राम आटी की आराजी नं 321 रकबा 0.8337 हैक्टेयर भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करना उचित समक्षते हैं।

—: आदेश :—

प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि ग्राम आंटी पटवार मण्डल गुढ़ा भू.अभि.नि. क्षेत्र. कांस्या तहसील बिजौलियां स्थित खाता संख्या 235 में अंकित खसरा संख्या 321 क्षेत्रफल 0.8337 हैक्टैयर भूमि वर्गीकरण बारानी द्वितीय कुल किता 01 क्षेत्रफल 0.8337 हैक्टेयर भूमि में अवैध खनन (पत्थर कटा हुआ) किये जाने से उक्त आराजी खसरा संख्या 321 क्षेत्रफल 0.8337 हैक्टैयर भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को तहरीर जारी की जावें।

आदेश आज दिनांक 21/11/**2024** को पृथक से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा